



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/18/2022- ADMN

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

स्थापना आदेश सं.: 11/2026

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यालय आदेश सं. 02/2026 दिनांक 02.04.2026 के अनुसरण में, **मुख्य लेखाधिकारी** की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश, तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किए जाते हैं:-

Sl. No.	Name of Chief Accounts Officer	DOB	From	To
1.	Shri Yashwant Rajoria	09.12.1969	UOP	Customs (P), Jodhpur
2.	Shri Vinod Kumar Basetha	12.12.1974	UOP	Audit, Jodhpur (To work in CGST Division, Ajmer)
3.	Shri Anil Kumar Meena	26.08.1986	UOP	CCO, Jaipur (To work in CGST, Alwar)
4.	Shri Babu Lal Meena	08.07.1972	UOP	CGST, Jaipur (w.e.f. 01.06.2026)

2. इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं. 10/2025 दिनांक 21.04.2025 के अनुसार श्री धर्मेन्द्र कुमार जवड़ा, मुख्य लेखाधिकारी, सीजीएसटी, जोधपुर अपने नियमित कार्यभार के अतिरिक्त अंकेक्षण, जोधपुर का अतिरिक्त प्रभार यथावत देखते रहेंगे।

3. क्रम सं. 2 एवं 3 पर उल्लेखित अधिकारियों को वेतन एवं भत्तों के आहरण एवं सेवा पुस्तिका के रख-रखाव के लिए क्रमशः अंकेक्षण, जोधपुर एवं मुख्य आयुक्त कार्यालय, जयपुर के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(दिनेश सिंह देवल)
अपर आयुक्त

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/ अपीलस, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर मु. जयपुर।
2. प्रधान अपर महानिदेशक, नासिन, जयपुर।
3. अवर सचिव (Ad.IIA), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. सम्बंधित अधिकारी।
6. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
7. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।